न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 105/2020

प्रार्थीगण :-

1. मदनसिंह पुत्र मोहनसिंह
2. हंसराज पुत्र मोहनसिंह
3. मृतक उम्मेदसिंह के कायम मुकाम

3/1 सुखादेवी पत्नी उम्मेदसिंह

3/2 आईदसिंह उर्फ महावीर पुत्र उम्मेदसिंह

3/3 धुरेन्द्रसिंह पुत्र उम्मेदसिंह

प्रार्थी सं. 3/2 व 3/3 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुखीदेवी पत्नी उम्मेदसिंह जाति राजपुरोहित सभी निवासी टेरिया वाया तिरसींगडी सोढा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. सहायक अभियन्ता पी.डब्लु.डी. बालोतरा
2. खीवसिंह पुत्र चुन्नीलाल
3. माधुसिंह पुत्र देवीसिंह सभी जातियान राजपुरोहित सभी निवासी तिरसींगडी सोढा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती बाबत</u>

अधिवक्तागण :- 1.श्री भूपेन्द्र गहलोत प्रार्थीगण वकील
2. सरकारी पैरोकार विप्रार्थीगण संख्या – 1 व 4

<u>'आदेश'</u>

दिनांक :- 5.07.2021

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य है कि सरहद मौजा तिरसींगडी सोढा पटवार हल्का नेवरी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब की राजस्व सीमा में मूल खसरा सं. 412 रकबा 23.02 रकबा 23.02 बीघा व खसरा सं. 413 रकबा 6.17 बीघा अवस्थित रही है, उक्त भूमि में प्रार्थीगण ने जरीये विक्रय विलेख भूमि खरीद की, जिसके तरमीमी खसरा सं. 642/412 रकबा 11.11 बीघा व खसरा सं. 645/413 रकबा 3.09 बीघा प्रार्थीगण के खातेदारी मालिकाना स्वामित्व की अवस्थित रही है। प्रार्थीगण 01 व 02 के भाई उम्मेदसिंह का देहान्त हो जाने से उनके कायम मुकामात प्रार्थी सं. 3/1 से 3/3को पक्षकार बनाया गया है. प्रार्थीगण के अन्य खरीद [illegible] कोई विवाद नहीं है।

विवादित खसरे में से थोब [illegible] निर्मित हुई. इस कारण मुल खसरे में से भूमि सड[illegible] 04 के खाते में दर्ज की [illegible] जिसके तरमीमी खसरा सं. 643/412 रकबा 4.19 [illegible] 646/413 रकबा 02 [illegible] 647/413 रकबा 02 विस्वा किस्म गैर मुमकिन सड़क [illegible] इस प्रकार मूल खसरा 41[illegible] 413 के तरमीमी के खसरे संख्या सं. 642/412, 643/412, 645/413, 646/413, 647/413 बने मौके की वस्तुस्थिति को सुस्पष्ट करने हेतु परिशिष्ट 'अ' प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:32:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त आराजी भूमि पर मौके पर जहां पर सडक निर्मित है, जो मौके पर चल रही है, की नक्शा लटटा ट्रेस में सही जगह तरमीम नहीं की गई है, और जहां राजस्व रेकर्ड नक्शा में सडक की तरमीम है, वहां मौके पर सडक स्थित नहीं है, इस कारण मौके एवं रेकर्ड में भिन्नता होने की वजह से मौके पर कब्जा काश्त को लेकर भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, रेकर्ड में उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटिवश हुई है जो ऐरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है, जिसकी दुरस्ती करना न्याय हित में आवश्यक हैं, ताकि रेकर्ड लट्ठा ट्रेस की प्रविष्टियां भी मौके की स्थिति अनुसार सहीं हो सके के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तरमीम माफिक परिशिष्ट 'अ' के अनुसार दुरूस्त की जावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस भिजवाये गये। विप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को नोटिस भेजने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर रजिस्टर्ड नोटिस को तामील की तारीफ में मानते हुए इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। तहसीलदार पचपदरा को मौका की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गयी ।

विप्रार्थीगण संख्या –1 सहायक अभियन्ता पी.डब्लू. डी बालोतरा ने दिनांक 27.8.2020 को जबाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण का सहायक अभियन्ता सा.नि.वि से सबंधित नहीं होने के कारण इस प्रकरण को निरस्त फरमाने की कार्यवाही की जावें । विप्रार्थीगण संख्या –4 तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्रांक कमांक 1421 दिनांक 15.6.2021 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया कि मौजा तिरसींगडी सोढ़ा के खसरा न0 412 व 413 में से सडक निकलने से नवीन खसरा न0 642/412, 643/412, 644/412 645/415, 646/413 व 647/413 बन गये। जिसकी लट्ठा ट्रेस में तरमीम की हुई है लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर बनी हुई सडक के अनुसार तरमीम नहीं होने से रेकर्ड मौके पर बनी सडक के अनुसार सही करने बाबत पूर्ण विवरण संलग्न मौका फर्द व प्रस्तावित तरमीम खतौनी, नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार लट्ठा ट्रेस में दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया ।

हमनें विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं सरकारी पैरोकार संख्या –1 व 4 की बहस सुनी गई, व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया। बाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त विवादित आराजी में से सडक की तरमीम मौके की स्थिति के अनुसार नहीं की गई है जिसकी पुष्टि तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका जांच में की गयी है जो केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरहद मौजा तिरसींगडी सोढा पटवार हल्का नेवरी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब के खसरा सं. 642/412, 643/412, 644/412 645/415, 646/413 व 647/413 के राजस्व रेकर्ड नक्शा लटटा ट्रेस में की गयी लिपिकीय त्रुटि को तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट व संलग्न प्रस्तुत तरमीम खतौनी व प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार दुरूस्ती का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट, मौका तरमीम खतौनी व प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'अ' आदेश के अभिन्न अंग होगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:32:50 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
भू अभिलेख अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 5.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner